न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड (राज.)

पीठासीन अधिकारीः–दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 63/2024 **दायर दिनांकः 24.05.2024**

उनवान

1. भौलेश पाटीदार पुत्र रामचन्द्र जाति पाटीदार नि. सरोनिया तहसील पिडावा

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील पिडावा जिला झालावाड

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति :–
वकील प्रार्थी :– श्री मसूद अहमद खान
अप्राथी :– पैरोकार सरकार

आदेश दिनांक : 29.11.2024

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि जमाबंदी सं. 2073–76 ग्राम सरोनिया तहसील पिडावा में खाता सं. 179 की आराजी ख.नं. 357, 442, 445, 513/936 किता 4 रकबा 0.3540 है. भूमि जो प्रार्थी के खातेदारी में है।

इसी प्रकार जमाबंदी सं. 2074–77 ग्राम गुराडिया तहसील पिडावा में खाता सं. 204 की आराजी ख.नं. 904/59 रकबा 0.6703 है. भूमि जो प्रार्थी के खातेदारी में है।

वास्तविकता यह है कि प्रार्थी का नाम भौलेश पाटीदार पुत्र रामचन्द्र जाति पाटीदार नि. सरोनिया है। प्रार्थना पत्र के पैरा सं. 1 में वर्णित आराजी के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम नाबालिग भोलाराम पुत्र रामचन्द्र दर्ज हो रहा है जो गलत दर्ज हो रहा है। इसी प्रकार प्रार्थना पत्र के पैरा सं. 2 वर्णित आराजी के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम नाबालिग भोलाराम दत्तक पुत्र प्रभूलाल संरक्षक पिता रामचन्द्र दर्ज हो [illegible] गलत दर्ज हो रहा है। प्रार्थी का सही नाम [illegible] के नाम का गलत अंकन किस प्रकार और कैसे [illegible] रहा है। [illegible] जानकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.12.11 11:35:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थी को नहीं है। प्रार्थना पत्र के पैरा सं. 1 व 2 में वर्णित आराजी में प्रार्थी का नाम गलत दर्ज होने की वजह से प्रार्थी को किसी प्रकार का लाभ नहीं मिल रहा है तथा प्रार्थी को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित होना पड रहा है। प्रार्थी प्रार्थना पत्र के पैरा सं. 1 व 2 में वर्णित आराजी की जमाबंदी में अपने गलत नाम भौलाराम के स्थान पर सही नाम भौलेश पाटीदार दर्ज करवाने का पूरा अधिकार है। प्रार्थी के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राज. के प्रमाण पत्र 10 वी तथा 12 वी की क्लास, पासबुक पंजाब नेशनल बैंक कोटडी, पेनकार्ड, आधारकार्ड, पहचान पत्र, परिवार राशनकार्ड, मतदाता पहचान पत्र इन सभी दस्तावेजो में प्रार्थी का वास्तविक व सही नाम भौलेश पुत्र रामचन्द्र दर्ज हो रहा है। प्रार्थी के गलत नाम के इन्द्राज का पता चलने पर प्रार्थी के पिता रामचन्द्र जी ने हल्का पटवारी से सम्पर्क किया और राजस्व रिकार्ड यानि जमाबंदी में प्रार्थी के गलत नाम भौलाराम के स्थान पर सही नाम भौलेश दर्ज करने का आग्रह किया तो उन्होने माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की सलाह दी। यह कि प्रार्थना पत्र उचित न्यायशुल्क पर अवधि मध्य व माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पिडावा को आदेश दिया जावे कि वे प्रार्थी के चले आ रहे त्रुटीपूर्ण अंकन को हटाकर खाता सं. 179/311 ग्राम सरोनिया एवं खाता सं. 204/256 ग्राम गुराडिया की जमाबंदी में खातेदार काश्तकार में दर्ज भौलाराम के स्थान पर प्रार्थी का सही नाम भौलेश पाटीदार दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। पैरोकार सरकार की तलबी जर्ये सम्मन की गई। पैरोकार सरकार उपस्थित। पैरोकार सरकार द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पत्रांक 974 दिनांक 03.09.2024 को पेश किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा बिन्दूवार जवाब प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि

(1) मुताबिक राजस्व रिकार्ड जमाबंदी ग्राम सरोनिया सं. (2073–76) 2076 वर्ष 2020 से स्थायी में खाता सं. 179 कित 4 रकबा 0.3540 है. में खातेदार नाबा. भोलाराम पुत्र रामचन्द्र संरक्षक सरपरस्त ... जाति कुल्मी दर्ज है जो कि नामा.सं. 759 रजि. गोद पुत्र फौती गोद ... से दर्ज हुआ है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.12.11 11:35:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

(2) उपस्थित ग्रामवायिान से जानकारी लेने पर पता चला कि उपरोक्त खातेदार का नाम भौलेश पि. रामचन्द्र जाति कुल्मी है एवं प्रार्थी के दस्तावेज दसवी की अंकतालिका व अन्य में भी भौलेश पि. रामचन्द्र नाम अंकित है।

(3) अतः मुताबिक दस्तावेज प्रार्थी खातेदार का नाम भौलेश पि. रामचन्द्र जाति कुल्मी सही नाम है जो सही करने योग्य है।

3. प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में ग्राम सरोनिया की जमाबंदी सं. 2073–76 के खाता सं. 179, ग्राम गुराडिया की जमाबंदी सं. 2074–77 के खाता सं. 204 की प्रमाणित नकले, भौलेश पाटीदार का आधारकार्ड (225753462668), लीलाबाई का जनाधारकार्ड (5040475816), भौलेश पाटीदार का पेनकार्ड (ICQPP8652F), पंजाब नेशनल बैंक की बैंक पासबुक, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वी. व 12 वी की अंकतालिका की छायाप्रतियां पेश की।

4. अप्रार्थी पेरोकार सरकार की ओर से पटवार हल्का की रिपोर्ट, भौलेश पाटीदार की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वी. व 12 वी की अंकतालिका की छायाप्रति एवं ग्राम सरोनिया की जमाबंदी सं. 2073–76 के खाता सं. 179, नकल, रजिस्टर्ड गोदपत्र दिनांक 29.05.2007 की छायाप्रति, भौलेश पाटीदार का भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र, पेनकार्ड, आधारकार्ड की छायाप्रतियां एवं ग्राम सरोनिया का नामान्तरण की प्रति पेश की।

5. वकील प्रार्थी एवं पैराकार सरकार की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम सरोनिया की जमाबंदी सं. 2073–76 के खाता सं. 179 की आराजियात में प्रार्थी का गलत नाम नाबालिग भोलाराम पि. रामचन्द्र दर्ज हो रहा है एवं इसी प्रकार ग्राम गुराडिया की जमाबंदी सं. 2074–77 के खाता सं. 204 की आराजियात में प्रार्थी का गलत नाम नाबालिग भोलाराम दत्तक पुत्र प्रभूलाल दर्ज हो रहा है जिस कारण प्रार्थी को कई प्रकार की कठिनाईयों का सामना करना पड रहा है और प्रार्थी को सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.12.11 11:35:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

6. वकील प्रार्थी ने आगे बहस में तर्क दिया कि ग्राम सरोनिया के खाता सं. 179 तथा ग्राम गुराडिया के खाता सं. 204 में प्रार्थी का गलत नाम दर्ज है जबकि प्रार्थी के आधारकार्ड, पेनकार्ड, जनाधार कार्ड, 10 व 12 वी अंकतालिका सहित विभिन्न दस्तावेजो में प्रार्थी का सही नाम भौलेश पाटीदार दर्ज है जो कि प्रस्तुत दस्तावेजों से साबित है। अतः ग्राम सरोनिया के खाता सं. 179 तथा ग्राम गुराडिया के खाता सं. 204 में भूमि में प्रार्थी का गलत दर्ज नाम भौलाराम के स्थान पर सही नाम भौलेश पाटीदार शुद्ध दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

7. पैरोकार सरकार द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र के बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि राजस्व रिकार्ड जमाबंदी ग्राम सरोनिया सं. (2073–76) 2076 वर्ष 2020 से स्थायी में खाता सं. 179 किता 4 रकबा 0. 3540 है. में रजि. गोद पत्र का नामा.सं. 759 के आधार पर खातेदार नाबा. भोलाराम पुत्र रामचन्द्र संरक्षक सरपरस्त माता जाति कुल्मी दर्ज हुआ है। ग्रामवायिन द्वारा खातेदार का सही नाम भौलेश पि. रामचन्द्र जाति कुल्मी होना बताया है। प्रार्थी के दस्तावेज 10 व 12 वी की अंकतालिका व अन्य दस्तावेजो में भी भौलेश पि. रामचन्द्र नाम अंकित है। अतः प्रार्थी खातेदार का नाम भौलेश पि. रामचन्द्र जाति कुल्मी सही करने योग्य है।

8. वकील प्रार्थी एवं पैराकार सरकार की बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत ग्राम सरोनिया की जमाबंदी सं. 2073–76 के खाता सं. 179 में प्रार्थी का नाम नाबा. भोलाराम पुत्र रामचन्द्र संरक्षक सरपरस्त माता जाति कुल्मी दर्ज है। इसी प्रकार ग्राम गुराडिया की जमाबंदी सं. 2074–77 के खाता सं. 204 में प्रार्थी का नाम नाबा. भोलाराम दत्तक पुत्र प्रभूलाल संरक्षक सरपरस्त पिता रामचन्द्र जाति कुल्मी दर्ज है। प्रार्थी के आधारकार्ड (225753462668), भौलेश पाटीदार का पेनकार्ड (ICQPP8652F), पंजाब नेशनल बैंक की बैंक पासबुक, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वी. व 12 वी की अंकतालिका एवं प्रार्थी की माता लीलाबाई के जनाधारकार्ड (5040475816) से यह साबित है कि प्रार्थी का सही नाम भौलेश पाटीदार और पिता का नाम रामचन्द्र पाटीदार [illegible] ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है जिसमें प्रार्थी का [illegible] भोले [illegible] दत्तक पुत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.12.11 11:35:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

पैरा नं. 2 में वर्णित आराजी में प्रार्थी का नाम नाबालिग भौलाराम दत्तक पुत्र

Scanned with OKEN Scanner

प्रभूलाल दर्ज हो। प्रार्थी द्वारा पेश रजिस्टर्ड गोदपत्र दिनांक 29.05.2007 के अनुसार प्रार्थी को प्रभूलाल कुल्मी ने नहीं बल्कि सावित्रीबाई कुल्मी ने मोद लिया है। प्रभूलाल कुल्मी द्वारा गोद लिए जाने का कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। हिन्दू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 के अनुसार गोद लिए जाने के बाद गोदग्रहिता की बायोलोजिकल मात/पिता/संरक्षक माना जावेगा। प्रार्थी के दस्तावेजो में गोदग्रहिता का नाम नहीं होकर गोद दाता पिता का नाम अंकित होने से ग्राम सरोनिया के राजस्व रिकार्ड खाता सं. 179 में ही खातेदार के नाम अंकन में हुई त्रुटी को उभयपक्षकार की सहमति से धारा 136 एलआरएक्ट के अधीन दुरूस्त किया जाना न्यायोचित होगा।

9. उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण एवं साक्ष्य के आधार पर ग्राम सरोनिया के खाता सं. 179 के संबंध में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार तथा ग्राम गुराडिया के खाता सं. 204 कृषि भूमि के संबंध में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट अस्वीकार किये जाने योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन व विष्लेषण के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट0 बावत दुरस्ती इन्द्राज न्यायहित में आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। केवल ग्राम सरोनिया के खाता सं. 179 में दर्ज प्रार्थी का नाम भौलाराम के स्थान पर सही व शुद्ध नाम भौलेश उर्फ भोलाराम पाटीदार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार पिडावा उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्त करे।

यह निर्णय आज दिनांक 29.11.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29/11/24

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.12.11 11:35:12 IST
Reason: SelfAttested

(दिनेश कुमार मीणा, आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी, पिडावा
जिला झालावाड़ राज0

उपखण्ड अधिकारी पिडावा, जिला झालावाड़ (राज0)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner